प्रेषक,

सुरेश कुमार,
विशेष सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण
लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-9 **लखनऊ : दिनांक- 19 दिसम्बर, 2019**

विषय- वित्तीय वर्ष 2019-2020 के लिए अनुरक्षण मद में प्राविधानित बजट के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू० 1,000.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2191/एफ-31(8)/यू0पी0आर0आर0डी0ए0/2019, दिनांक-14.11.2019 एवं शासनादेश संख्या-20/2019/पी-224/अडतीस-9-2019-06(बजट) /2018 टी0सी-1 दिनांक-22.05.2019 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत निर्मित मार्गों के अनुरक्षण हेतु प्राविधानित धनराशि रू० 5,000.00 लाख (रू0 पचास करोड मात्र) के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू० 1,000.00 लाख (रू०दस करोड मात्र)आपके निवर्तन पर रखने हेतु निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

1- निर्मित सम्पर्क मार्गों का हस्तान्तरण निर्माण के 05 वर्ष के उपरान्त लोक निर्माण विभाग को कर दिया जायेगा।
2- स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक-22.03.2019 द्वारा निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
3- स्वीकृति की जा रही धनराशि दो समान किश्तों में आहरित की जायेगी तथा प्रथम किश्त का 75 प्रतिशत उपभोग किये जाने के बाद द्वितीय किश्त का आहरण किया जायेगा।
4- उक्त धनराशि का व्यय प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत गठित उ0प्र0 ग्रामीण सडक विकास अभिकरण की नियमावली एवं इस सम्बन्ध में राज्य सरकार के द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।
5- धनराशि के आहरण एवं व्यय में वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा व्यय धनराशि से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण-पत्र सम्बन्धित अधिकारी/कार्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-13 के लेखाशीर्षक-"3054-सड़क तथा सेतु-04-जिला तथा अन्य सडकें-105-रख-रखाव तथा मरम्मत-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

03-उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण-0301-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत सड़कों का अनुरक्षण-29-अनुरक्षण'' के नामें डाला जायेगा।

भवदीय,

(सुरेश कुमार)
विशेष सचिव।

संख्या-29/2019/पी-418/अड्तीस-9-2019 तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
3- आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 ग्रामीण सडक विकास अभिकरण, लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक)/अनुभाग-1
7- निदेशक, बजट/विशेष कार्याधिकारी, ग्राम्य विकास विभाग/ग्राम्य विकास अनुभाग-3
8- गार्डबुक।

आज्ञा से,

(सुरेश कुमार)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।